कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / **362** / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक **17** / 04 / 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालय के आदेश क्रमांक कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 328 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021, महासमुंद दिनांक 10.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 347 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद दिनांक 13.04.2021 द्वारा महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 22.04.2021 मध्यरात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

महासमुन्द जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 328 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021, महासमुंद दिनांक 10.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 347 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद दिनांक 13.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. **महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा।**
02. उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
03. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
04. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग–अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
05. सभी प्रकार की मंडियां, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी, किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली–मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 06:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल

डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

06. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई–पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध–वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

07. दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

08. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

09. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

10. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

11. पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।

12. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकॉम, इन्टरनेट, कुरियर, ई–कामर्स एवं पोस्टल सेवा, निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी।

13. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति/होम–डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी।

14. जिले के पांचों धान संग्रहण केन्द्र (मार्कफेड के अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन), तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय/कार्यस्थल/गोदाम/संबद्ध राईस मिल/रेल–रेक प्वाइंट, को शासकीय धान/अनाज के निपटारे/समाधान/परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मॉस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए, कार्य करने की छूट होगी।

15. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी।

16. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला ... (छ.ग.)

17/4/2021

17. उपरोक्त अवधि में महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि–फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी, किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन–देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

18. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

19. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि, पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

20. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से, पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारी/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई–डी कार्ड, ई–पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

21. कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज एवं आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

22. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

23. मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क–फ्रॉम–होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

24. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है :– 07723–222100, 07723–222101, 82693–79405

25. यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

26. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

27. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से लागू होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

17/4/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / **362** / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक **17** / 04 / 2021

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
05. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
08. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द / बागबाहरा / पिथौरा / सरायपाली,
11. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द,
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द,
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जिला महासमुन्द,

    को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
14. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।
15. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।

17/4/2021

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)